न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0— 65/2023 **दायर दिनांकः 30/06/2023**

रजि0 नं0—2023/135

उनवान

1. महेश आयु 23 वर्ष पुत्र लालचन्द जाति खटीक
2. शिव आयु 20 वर्ष पुत्र लालचन्द जाति खटीक
3. हेमन्त आयु 18 वर्ष पुत्र लालचन्द जाति खटीक निवासीगण आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगण :—विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिहं हाडा

आदेश दिनाक : 31/07/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 653 के ख0नं0 98 रकबा 1.50 है0 कुल 1 किता का कुल रकबा 1. 50 है0 आराजी वादीगण के पिता लालचन्द उर्फ बालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण के पिता खातेदार का नाम बालचन्द पुत्र

मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वादीगण के पिता लालबन्द उर्फ बालचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके एक मात्र वारिस वादीगण हैं। वादीगण के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं जो वादीगण के पिता का सही नाम हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति व ग्राम पंचायत आटोन का सरपंच प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी वादगीण के पिता को विरासत में प्राप्त हुई हैं। जिसका फोती नामान्तरण दर्ज करवाते समय वादीगण के पिता का बोलता नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज करवा दिया था जो वादीगण के पिता का गलत नाम हैं। जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित दस्तावेजो में दर्ज नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। जो वादीगण के पिता का सही नाम है जबकि बालचन्द पुत्र मदनलाल व लालचन्द पुत्र मदनलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 मे वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता का गलत नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज होने व सरकारी दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज होने से खातेदार के स्थान पर फोती इन्तकाल नही खुल पा रहा हैं। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक के स्थान पर लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करवाया जाना सम्भव नही हैं। यदि वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त कर बालचन्द पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज नही किया गया तो फोती इन्तकाल नही खुल सकेगा। अस्तु वादीगण वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में बालचन्द पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.06.2023 को फोती इन्तकाल खुलवाने हल्का पटवारी के पास जाने पर व अन्तिम बार हल्का पटवारी द्वारा फोती इन्तकाल खोलने से मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद नाम दुरूस्ती का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वादग्रस्त आराजी व पक्षकार तहसील अटरू क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। यह कि वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

मूलतः न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आश्य की सादिर फरमायी जावे।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

3. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम आटोन की खाता संख्या 653 के ख0नं0 98 रकबा 1.50 है0 आराजी वादीगण के पिता लालचन्द उर्फ बालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें वादीगण के पिता खातेदार का नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। वादीगण के पिता लालबन्द उर्फ बालचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिसके एक मात्र वारिस वादीगण ही हैं। वादीगण के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं जो वादीगण के पिता का सही नाम हैं। वादीगण के पिता का फौती नामान्तरण दर्ज करवाते समय वादीगण के पिता का बोलता नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज करवा दिया था जो गलत नाम हैं।

अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान आगे तर्क किया कि जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं० 2 में वर्णित दस्तावेजो में दर्ज नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक दर्ज हैं। जो वादीगण के पिता का सही नाम है तथा बालचन्द पुत्र मदनलाल व लालचन्द पुत्र मदनलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण अपने पिता का नाम बालचन्द पुत्र मदनलाल के स्थान पर सही नाम लालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज करवाने के अधिकारी है।

4. अभिभाषक वादीगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम आटोन की जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 653 के ख0नं0 98 रकबा 1.50 है0 आराजी बालचन्द, भूपेन्द्र कुमार पुत्रान मदनलाल एवं वादीगण के शामलाती खाते दर्ज है जिसमें बालचन्द का हिस्सा 1/4 दर्ज है।

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2017 के अवलोकन अनुसार वादीगण के पिता का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में लालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज है। आधार कार्ड में लालचन्द पुत्र मदन लाल दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में लालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत आटोन द्वारा दिनांक 29.06.2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार बालचन्द व लालचन्द दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है एवं बालचन्द उर्फ लालचन्द पुत्र मदनलाल जाति खटीक निवासी आटोन की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन से जाहिर होता है कि वादीगण के पिता का सही नाम लालचन्द ही है।

5. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम आटोन की विवादित आराजी ख0नं0 98 में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त कर बालचन्द के स्थान पर लालचन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम आटोन के खाता संख्या 653 के ख0नं0 98 का रकबा 1.50 है0 आराजी वादीगण के पिता सहखातेदार बालचन्द पुत्र मदनलाल के स्थान पर लालचन्द उर्फ बालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31/07/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0– 65 / 2023 **दायर दिनांकः 30 / 06 / 2023**

रजि0 नं0–2023 / 135

उनवान

1. महेश आयु 23 वर्ष पुत्र लालचन्द जाति खटीक
2. शिव आयु 20 वर्ष पुत्र लालचन्द जाति खटीक
3. हेमन्त आयु 18 वर्ष पुत्र लालचन्द जाति खटीक निवासीगण आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0</u>
<u>एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0</u>

बहाजिर :–

वादीगण :–विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिहं हाडा

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम आटोन के खाता संख्या 653 के ख0नं0 98 का रकबा 1.50 है0 आराजी वादीगण के पिता सहखातेदार बालचन्द पुत्र मदनलाल के स्थान पर लालचन्द उर्फ बालचन्द पुत्र मदनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 31.07.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)